

कोर्टफीस  
टिकिट 1 रु

जे-3

### शस्त्र क्रय करने हेतु समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र

1. नाम आवेदक .....
2. आवेदक का पता .....
3. शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या एवं जारी करने का दिनांक .....
4. अनुज्ञापन अधिकारी .....
5. अनुज्ञापत्र के अधीन अनुमत शस्त्र .....
6. अनुज्ञापत्र का क्षेत्र .....
7. निर्धारित अवधि में शस्त्र क्रय नहीं करने का कारण .....

नोट :-

1. मूल अनुज्ञापत्र संलग्न है।
2. अनुज्ञापत्र स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक ही शस्त्र क्रय किये जाने हेतु समयावधि देय है।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय कार्यवाही

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुज्ञापत्र पर समय अवधि उचित कारणों के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। अतः शस्त्र किये जाने हेतु दिनांक ..... तक अनुज्ञापत्र में समयावधि बढ़ाई जाकर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

शाखा लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी

अनुज्ञापत्र में शस्त्र इन्द्राज हेतु आवेदन पत्र

1. नाम आवेदक .....
2. शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या .....
3. वैधता अवधि .....
4. शस्त्र कहीं से क्रय किया गया का विवरण .....
5. बिल नम्बर व दिनांक (फोटो प्रति संलग्न करें) .....
6. शस्त्र प्रक मेक एवं नम्बर .....

नोट :-

मूल अनुज्ञापत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर आवेदक मय प्रता

कार्यालय कार्यवाही

आवेदक द्वारा समय पर शस्त्र क्रय कर लिया गया है। अतः अनुज्ञापत्र में शस्त्र इन्द्राज किया जाकर हस्ताक्षर प्रस्तुत है।

शाखा लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी